भारत सरकार
ग्रामीण विकास मंत्रालय
ग्रामीण विकास विभाग
....

राज्य सभा

तारांकित प्रश्न सं. 14*

(22 नवम्बर, 2011 को उत्तर दिए जाने के लिए)

पी एम जी एस वाई तथा आई ए वाई के अंतर्गत निधियों का आवंटन

***14. श्री वाई.एस. चौधरीः**

क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना और इंदिरा आवास योजना के अंतर्गत विभिन्न राज्यों को केन्द्रीय निधियों के आवंटन का आधार क्या है;

(ख) इन योजनाओं के अंतर्गत दसवीं पंचवर्षीय योजना और ग्यारहवीं योजना में अब तक आंध्र प्रदेश को और इस अवधि के दौरान देश में आवंटित की गई निधियों का वर्ष-वार और योजना-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या आंध्र प्रदेश में आवंटित निधियों को विनिर्दिष्ट प्रयोजन हेतु व्यय किया गया है और यदि हां, तो वर्ष-वार और योजना-वार तत्संबंधी प्राप्त परिणाम क्या हैं; और

(घ) क्या निधियों के अन्य प्रयोजनों के लिए उपयोग/दुरुपयोग किए जाने संबंधी कोई शिकायतें सरकार की जानकारी में आई हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा उन पर क्या कार्रवाई की गई है?

उत्तर

ग्रामीण विकास मंत्री
(श्री जयराम रमेश)

(क) से (घ) : एक विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है ।

*****

राज्य सभा में दिनांक 22.11.2011 को उत्तर दिए जाने के लिए नियत तारांकित प्रश्न सं0 14 के भाग (क) से (घ) के उत्तर में उल्लिखित विवरण

(क) : राज्यों को प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना (पीएमजीएसवाई) के अन्तर्गत निधियां, पीएमजीएसवाई दिशा-निर्देशों के आधार पर रिलीज की जाती हैं जिसमें कार्यान्वयन की गति, व्यय के स्तर और राज्यों के पास उपलब्ध खर्च न की गई शेष राशि को ध्यान में रखा जाता है।

आईएवाई के अन्तर्गत, राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को निधियों का आबंटन, पूर्व निर्धारित मानदंड के अनुसार किया जाता है, जिसमें आवास की कमी को 75% तथा गरीबी अनुपात को 25% महत्व दिया जाता है।

(ख) और (ग) : 10वीं पंचवर्षीय योजना तथा 11वीं योजना के दौरान पीएमजीएसवाई और आईएवाई कार्यक्रम के अन्तर्गत रिलीज की गई कुल निधियों, पीएमजीएसवाई तथा आईएवाई के तहत आन्ध्र प्रदेश को रिलीज की गई निधियों, उनके द्वारा उपयोग की गई निधियों एवं उपलब्धि का वर्षवार ब्यौरा दर्शाने वाला विवरण अनुबन्ध के रूप में संलग्न है।

(घ) : पीएमजीएसवाई तथा आईएवाई दोनों योजनाओं के कार्यान्वयन तथा निधियों के समुचित उपयोग को सुनिश्चित करने की जिम्मेवारी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की है। तद्नुसार, योजना के कार्यान्वयन में अनियमितताओं के संबंध में प्राप्त किसी भी शिकायत को मंत्रालय के ध्यान में लाए जाने पर मामले को उपचारात्मक कार्रवाई के लिए तत्काल संबंधित राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र के साथ उठाया जाता है। पीएमजीएसवाई के संबंध में कुछ मामलों में शिकायतों की जांच करने के लिए राष्ट्रीय गुणवत्ता निगरानीकर्ताओं को भी तैनात किया जाता है और उनकी रिपोर्टों पर सुधारात्मक कार्रवाई हेतु राज्यों के साथ चर्चा भी की जाती है।

अनुबंध

राज्य सभा में दिनांक 22.11.2011 को उत्तर देने के लिए नियत तारांकित प्रश्न सं 14 के भाग (ख) और (ग) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध

10वीं पंचवर्षीय योजना तथा 11वीं योजना के दौरान अब तक पीएमजीएसवाई एवं आईएवाई के अन्तर्गत रिलीज की गई कुल निधियों और आन्ध्र प्रदेश को रिलीज की गई निधियों और आन्ध्र प्रदेश द्वारा पीएमजीएसवाई एवंआईएवाई के अंतर्गत उपयोग की गई राशि और प्राप्त की गई उपलब्धि का वर्षवार ब्यौरा दर्शाने वाला विवरण

	पीएमजीएसवाई				आईएवाई				
वर्ष	पीएमजीएसवाई के अन्तर्गत रिलीज की गई निधियां (करोड़ रु0 में)	आन्ध्र प्रदेश को रिलीज की गई निधियां (करोड़ रु0 में)	उपयोग की गई निधियां *	निर्मित सड़कों की लं0 (कि.मी.)	आईएवाई के तहत रिलीज की गई निधियां (करोड़ रु0 में)	आन्ध्र प्रदेश को रिलीज की गई निधियां (करोड़ रु0 में)	उपयोग की गई निधियां ** (करोड़ रु0 में)	वास्तविक लक्ष्य	निर्मित आवास
2000-01	2414.41	195.00							
2001-02	2474.84	224.65							
2002-03	2469.00	219.29			1628.53	123.57	201.23	96562	126837
2003-04	2288.27	100.00	637.68	6618.12	1871.08	129.47	194.54	109355	105295
2004-05	2386.03	88.97	117.83	202.88	2883.1	191.91	248.14	115083	126039
2005-06	4134.80	183.56	106.79	1404.35	2738.23	246.1	317.91	130130	132521
2006-07	6165.12	155.09	265.27	2194.94	2907.53	260.89	337.85	138342	146403
2007-08	10823.35	316.57	381.89	1656.80	3882.37	362.01	468.39	192148	194861
2008-09	14621.05	470.60	494.47	1885.00	8795.79	820.83	899.38	192132	266654
2009-10	16723.93	872.46	886.37	3092.00	8635.74	856.29	1307.96	371982	434733
2010-11	20181.37	667.15	473.94	2121.48	10139.45	873.66	1134.81	257104	257104
2011-12(Oct,11)	9117.59	136.57	103.43	348.55	4990.58#	423.81	747.44	249013	169209

* वर्ष 2000-2004 के दौरान वर्षवार उपयोग तथा निर्मित सड़क लम्बाई संबंधी जानकारी उपलब्ध नहीं है।

** उपयोग में केन्द्रीय हिस्सा, राज्य हिस्सा तथा विविध प्राप्तियां शामिल हैं।

राज्यों/जिलों द्वारा ऑनलाइन रूप से प्रदान की गई जानकारी के अनुसार, 14.11.2011 तक केन्द्रीय रिलीज और अक्टूबर तक कार्य निषादन